E-mail : info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org

Tel. :(91) 011-4922 5000
Fax :(91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: D: 952 **/2018 (LE/Afflin)** **Dated 19.07.2018**

To,
The Registrar
Allahabad State University, Allahabad
56, Mahatma Gandhi Marg,
George Town, Allahabad, Uttar Pradesh 211002

Sub: Extension of provisional temporary approval of affiliation to **following law colleges for the academic year 2018-2019.**

Sir,

This is with reference to the above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation to the **following law colleges** which have already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2018-19 and wherein the inspection of the Bar Council of India is pending at the moment or wherein after inspection, the report of the inspection committee is awaited.

The matter relating to colleges similarly placed were considered by the Bar Council of India at its meeting held on 25th & 26th May 2018. The resolution passed was as follows:

> "RESOLVED that colleges whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, then such colleges may continue to admit students only for the academic year 2018-2019. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University which of course shall be subject to the inspection to be made by the Bar Council of India subsequently."

Since your university has given affiliation for the year 2018-2019 to the **following law colleges**, you are requested to allow **them** to admit students in concerned course/s with existing sections for the academic year 2018-2019.

There are other law colleges, who may have received affiliation by you for the year 2018-19, which may not find mention here as some law colleges have been granted individual approval letters too.

This is being sent in a batch due to your conveniences. We shall follow it up with names of other colleges as and when we approve of the same.

Admission process may be allowed only for those law colleges who have been approved by Bar Council of India including the batch names of the colleges mentioned below and or those law colleges who have been otherwise issued individual approval letters.

Copy to:

1.	The Principal Raj Narayan Pandey Law College, Village: Medua (Berui) Post - Sahson Distt.: Allahabad - 221 507 Uttar Pradesh	Five Year B.A. LL.B.
2.	The Principal Maya Devi Smarak Vidhi Mahavidyalya, Pura Pandey, TSL Naini, Allahabad Uttar Pradesh	Three Year LL.B.
3.	The Principal Fatima Vidhi Mahavidyalaya Jugnideeh Sikandara, Phoolpur, Allahabad Uttar Pradesh	Three Year LL.B.
4.	The Principal R. D. Singh Vidhi Mahavidyalaya Kaserua Kala, Sahson Allahabad - 221 507 Uttar Pradesh	Three Year LL.B.
5.	The Principal Sharda Deen Singh College of Law, Vill- Andawan, P.O. Sarai Inayat Distt. Allahabad - 221 505 Uttar Pradesh	Three Year LL.B.
7.	**The Secretary** **Bar Council of Uttar Pradesh** **19, Maharishi Dayanand Marg** **Allahabad, U.P.**	

This is for your information and necessary action.

Yours sincerely

[N. Senthil Kumar]
Asstt. Secretary

[Ashok K. Pandey]
Jt. Secretary

Note - Your University is requested to kindly verify the authenticity of the attached affiliation order submitted by the college and revert back to the Bar Council of India through e-mail as soon as possible.

Note- (1) That w.e.f. 21.05.2016 the inspection fee for LL.B three year and five year regular course is Rs. 3 lacs for each course and for the Honours course it is Rs. 5 lacs, while the application fee is Rs. 50,000/- and the guarantee amount is Rs. 5 lacs.

Very important : - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/ reply and affiliation orders separately to complianceaffiliationle@gmail.com, apart from copying it to dlebci@gmail.com please do not send any email/s to proledepartment@gmail.com

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebci@gmail.com

Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI.: 2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./1494/2016

दिनांक : 09/5/2016

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद से अनुमति की प्रत्याशा में **राज नारायण पाण्डेय विधि महाविद्यालय बेरूई, सहसों, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–**

1. प्रश्नगत सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त की जाती है, जिसमें प्रक्रियागत विलम्ब होता है। अतः **बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति/छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु आगामी पांच वर्षों की गणना की जायेगी।**
2. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों (यथाएल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विगत वर्षो का परीक्षाफल संलग्न नहीं है, याचित पाठ्यक्रम के शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के पूर्व उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. विधि पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। सत्र की गणना बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा सीट आवंटन के सत्र से की जायेगी। विलम्ब से बार काउन्सिल आफ इण्डिया पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रस्तुत करने अथवा प्राप्त होने पर सत्र निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
8. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रबन्धक, **राज नारायण पाण्डेय विधि महाविद्यालय बेरूई, सहसों,** इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की अनुमति मिलने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अर्ह शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की स्थिति में महाविद्यालय को में कक्षाएं संचालन की अनुमति तथा सीटों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया जायेगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
7. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI.: 2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 1502 /2016

दिनांक : 09/5 /2016

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद से अनुमति की प्रत्याशा में प्रस्तावित माया देवी स्मारक विधि महाविद्यालय, पूरापाण्डेय, नैनी, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त की जाती है, जिसमें प्रक्रियागत विलम्ब होता है। **अतः बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति/छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु आगामी तीन वर्षों की गणना की जायेगी।**
2. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं **प्रपत्र–बी** में इंगित समस्त कमियों (यथा–याचित पाठ्यक्रम के शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के पूर्व उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. विधि पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिंल आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। सत्र की गणना बार काउन्सिंल ऑफ इण्डिया द्वारा सीट आवंटन के सत्र से की जायेगी। विलम्ब से बार काउन्सिल आफ इण्डिया पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रस्तुत करने अथवा प्राप्त होने पर सत्र निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
8. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, प्रस्तावित माया देवी स्मारक विधि महाविद्यालय, पूरापाण्डेय, नैनी, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की अनुमति मिलने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अर्ह शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की स्थिति में महाविद्यालय को में कक्षाएं संचालन की अनुमति तथा सीटों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया जायेगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
7. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Gram : UNIVERSITY
0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C.	2570460	2570283
REGI.	2570301	2570682

(D)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 533 /2015

दिनांक : 30/05/2015

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद की अनुमति से फातमा विधि महाविद्यालय, जुगनीडीह, सिकन्दरा, फूलपुर, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1. प्रस्तगत सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त की जाती है, जिसमें प्रक्रियागत विलम्ब होता है। अतः बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति/छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु आगामी तीन वर्षों की गणना की जायेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों (यथा– याचित पाठ्यक्रम के शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायगा तथा महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के पूर्व उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने तथा बार काउन्सिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। बार काउन्सिल आफ इण्डिया से सीट्स की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करते हुए पाठ्यक्रम प्रवेश एवं पठन–पाठन प्रारम्भ किया जाएगा। प्रवेश के पूर्व मानकानुसार शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराया जाना तथा निरन्तर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
7. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, फातमा विधि महाविद्यालय, जुगनीडीह, सिकन्दरा, फूलपुर, इलाहाबाद ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा), छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. सिस्टम मैनेजर, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. इन्चार्ज, ई०डी०पी०, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक: इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 / ५८ / 2018 दिनांक १८ जनवरी, 2018

सेवा में,
चेयरमैन,
बार काउंसिल ऑफ इण्डिया,
नई दिल्ली।

महोदय,

आर0डी0 सिंह विधि महाविद्यालय, कसेरूआ कलां, सहसों, इलाहाबाद को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्र संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 539 / 2015 दिनांक 30.05.2015 द्वारा स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0–त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है कि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति / छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु आगामी तीन वर्षों की गणना की जायेगी। बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्रांक BCI : 1840/2016 (LE:Mgt.) दिनांक 16.12.2016 द्वारा शैक्षिक सत्र 2016–17 तथा 2017–18 हेतु संचालन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

वर्तमान में प्रश्नगत् महाविद्यालय उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–375 / सत्तर–1–2016–20(1) / 2013 दिनांक 31 मई 2016 के क्रम में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से सम्बद्ध है।

डॉ0 (साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

पता: सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उ०प्र०), फोन: 0532–2256207
Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Allahabad (U.P.) Ph. 0532-2256207

Website:- www.alldstateuniversity.org
E-mail:- registrarasua@gmail.com

Tel: (0532) 2256207

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सी०पी०आई० परिसर, एम० जी० मार्ग, इलाहाबाद-२११००१

संदर्भ सं0: सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/537/2015, दिनांक 30.05.2015 कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश:

सम्बद्धता–आदेश

उ.प्र. राज्य् विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद से अनुमति से शारदा दीन सिंह कालेज ऑफ लॉ, अन्दावां, सरायं इनायत, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. प्रश्नगत् सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त की जाती है, जिसमें प्रक्रियागत् विलम्ब होता है। अतः बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति/छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता के प्रयोजन हेतु आगामी तीन वर्षों की गणना की जायेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी मे इंगित समस्त कमियों (यथा याचित पाठ्यक्रमों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/मूल नजरी नक्शा संलग्न नहीं है) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बंधी आदेश निर्गत करने के पूर्व उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. विधि पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगें। सत्र कि गणना बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से सीट्स की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करते हुए पाठ्यक्रम प्रवेश एवं पठन–पाठन प्रारंभ किया जाएगा। प्रवेश के पूर्व मानकानुसार शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराया जाना तथा निरन्तर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
7. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2014, लखनऊ, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

ह0
(कुलसचिव)

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सं0 इ0रा0वि0वि0/सम्बद्धता/199/2016

दिनांक: 9-9-2016

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, शारदा दीन सिंह कालेज ऑफ लॉ, अन्दावां, सरायं इनायत, इलाहाबाद को निर्गत उपर्युक्त सम्बद्धता आदेश दिनांक 30.05.2015 में उल्लिखित तथ्यों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत, बार कौसिंल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्रांक BCI: D: 286/2016 (LE) दिनांक 06.04.2016 एवं कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय को एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 120 सीटों (60 छात्रों के दो सेक्सन) पर प्रवेश हेतु आवंटित की जाती है। महाविद्यालय वेबसाइट, ई–मेल आई0 डी0 एवं दूरभाष नं0 आदि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. उपकुलसचिव, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को इस आशय से कि महाविद्यालय को कालेज कोड एवं कालेज लागिन पासवर्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. निजी सचिव कुलपति को, कुलपति जी को सूचनार्थ।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(संजय कुमार)
कुलसचिव